न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिक्री 56/2016
पंजीयन दिनांक 25.02.2022

(1). मांगीलाल पिता भूरा जाति ब्राहम्ण निवासी आकोला खुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(2). पप्पुलाल उर्फ पीरूमल मुतबन्ना प्रताप जाति ब्राहम्ण निवासी आकोला खुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्गण

बनाम

(1). मु0 चम्पाबाई बेवा भूरा जाति ब्राहम्ण निवासी आकोला खुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़। (मृतक का नाम तर्क किया)।
(2). मगनीराम पिता भूरा जाति ब्राहम्ण निवासी आकोला खुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(3). मु0 जमनाबाई पुत्री भूरा जाति ब्राहम्ण निवासी आकोला खुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(4). सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर
प्रकरण संख्या 100/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.01.2016

उपस्थित वक्त बहस–(1). छोगालाल जाट–अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). खूमराज कुमावत– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3
(3). रेस्पोडेन्टगण संख्या 2–बावजूद सूचना अनुपस्थित
(4). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 4

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय **दिनांक 17.11.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त की पुश्तैनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात मौजा आकोला खुर्द की खाता संख्या 77 मे दर्ज आराजी संख्या 216 रकबा 18 बिस्वा , आराजी संख्या 232 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 233 रकबा 2 बीघा, आराजी संख्या 236 रकबा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 257 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा स्थित है व इसी अनुसार मौजा आकोला खुर्द की खाता संख्या 132 की आराजी संख्या 111/3 रकबा 5 बीघा मगरी स्थित है । वादपत्र मे सजरा परिवार प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मूल पुरुष भुरा का देहान्त करीब 20 वर्ष पूर्व हो चुका है जिसके वारिसान वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पत्नी, अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 पुत्र व रेस्पोडेन्ट प्रवितादी सख्या 2 व 3 पुत्र-पुत्री व प्रताप पुत्र है जो लाऔलाद फोत हो चुका है जिसका हक हिस्सा वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 मे निहित हो गया है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हक हिस्सा निहित है व इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर अपने-अपने हक हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व मृतक प्रताप के नाम खातेदारी मे दर्ज होने से उक्त विवादित कृषि आराजीयात को दीगर को रहन, बक्षीस, बय करने पर उतारू हो रहे है तथा वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात राजस्व रेकॉर्ड मे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने मिलकर अपने नाम दर्ज करा ली है जिसका नाजायज फायदा उठाकर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसके हक हिस्से से वंचित करना चाहते है जिससे वादपत्र बंटवाड़ा व खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। अन्त मे उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे वादिया का 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाबदावा नियत की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार बिना तनकीयात कायम किये पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। साक्ष्य वादी मे चम्पाबाई, गोपीलाल व मनोहर सिंह के शपथ-पत्र प्रस्तुत हुए। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दिनांक 18.01.2016 को वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 27.01.2016 को वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-96 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थी/अपीलांट संख्या 2 द्वारा स्वयं को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2016 से प्रभावित होना बताकर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/अपीलांट संख्या 2 को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमती प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

न्यायहित मे प्रार्थी/ अपीलांट संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/अपीलांट संख्या 2 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रभावित होना मानकर अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

से तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलांट संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। अपीलांट संख्या 1 की ओर से अस्वीकारोक्ति का जवाबदावा व काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली मे उभय पक्षकारान के अभिवचनो के अनुसार तनकीयात कायम किया जाना आवश्यक था फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही मानते हुए बिना तनकीयात कायम किये वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की एकतरफा साक्ष्य लिवायी जाकर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि भूरा के तीन पुत्र अपीलांट संख्या 1, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व मृतक प्रताप था। प्रताप के कोई नर संतान नहीं होने से प्रताप ने अपने जीवनकाल मे अपीलांट सख्या 2 को गोद रखा व अपीलांट संख्या 2 गोदपुत्र की हैसियत से मृतक प्रताप के साथ रहा, प्रताप की मृत्यु के पश्चात उसके हक हिस्से की कृषि आराजीयात पर अपीलांट संख्या 2 काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति मे मृतक प्रताप का हक व हिस्सा अपीलांट संख्या 2 के नाम पर घोषित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था फिर भी प्रताप का हक व हिस्सा भी अपीलांट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 प्रत्येक के 1/4, 1/4 घोषित किये जाने का निर्णय पारित किया है जो अवैधानिक है। वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो अपीलांट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की माता है जिसकी सेवा चाकरी अपीलांट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 करते चले आ रहे है । सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात पर अपीलांट्गण व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या का कोई कब्जा विवादित कृषि आराजीयात पर नही रहा है। अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट्गण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात अपीलांट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 3 के पिता व पति भूरा की होकर पैतृक कृषि आराजीयात है। भूरा के अपीलांट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 3 उत्तराधिकारी है जिनका विवादित कृषि आराजीयात मे बराबर-बराबर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

व हिस्सा निहित है। अपीलांट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने मिलिभगत कर राजस्व अधिकारियों से विवादित कृषि आराजीयात का नामान्तरण अपने नाम स्वीकृत करवा लिया जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया ने घोषणा व बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसको अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलांट संख्या 2 का उक्त कृषि आराजीयात मे किसी प्रकार का अधिकार नहीं होते हुए बिना दस्तावेजी साक्ष्यों के प्रताप का गोदपुत्र होना बताते हुए अपील प्रस्तुत की है जिससे अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अपील मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रेकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2020 पार्ट 2 पेज 889, आर.आर.टी. 2009 पार्ट 1 पेज 49, आर.आर.टी. 2017 पार्ट 1 पेज 613 प्रस्तुत कर अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया ने अपीलांट संख्या 1 व अन्य रेस्पोडेन्ट्गण के विरुद्ध घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन नोटिस जारी किये । सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा मय काउंटर क्लेम दिनांक 08.06.2009 को प्रस्तुत किया जिसकी नकल वादिया रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के अधिवक्ता को दिलाई गई व पत्रावली वास्ते जवाब काउंटर क्लेम विचाराधीन थी। दिनांक 03.11.2009 को अपीलांट संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर अपीलांट संख्या 2 ने स्वयं को पक्षकार कायम किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया द्वारा दिया जाना आवश्यक था। दिनांक 23.08.2012 को वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी का निस्तारण किया गया न ही अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार पत्रावली मे तनकीयात कायम की। बिना तनकीयात के पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की जाकर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की एकपक्षीय साक्ष्य ली जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की जाकर उक्त पत्रावली का निस्तारण करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया का 1/4 हक हिस्सा घोषित किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की है। उक्त पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट संख्या 3 विवादित कृषि आराजीयात की खातेदार नहीं है और न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से कोई काउंटर क्लेम प्रस्तुत हुआ है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का भी 1/4 हक व हिस्सा घोषित किया है साथ ही अपीलांट संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी को अनिर्णित रखते हुए निर्णय व डिकी पारित की है अपीलांट संख्या 1 प्रतिवादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे जवाबदावे के साथ काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया है । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम को भी अनिर्णित रखते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया का वादपत्र निर्णय व डिकी किया है। दौराने अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया का स्वर्गवास हो चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया के वैधानिक उत्तराधिकारी अपीलांट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ही है । ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया के स्वर्गवास के पश्चात विवादित कृषि आराजीयात मे अपीलांट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के हक व हिस्से मे भी अंतर आना स्वभाविक है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजों को रेकॉर्ड पर लिया जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2017 पार्ट 1 पेज 613, आर.आर.टी. 2009 पार्ट 1 पेज 49 , आर.आर.टी. 2020 पार्ट 2 पेज 889 इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होने से अपीलांट संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर प्रकरण पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 100/2015 निर्णय व डिकी दिनांक 27.01.2016 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट संख्या 2 की

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तोर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे लम्बित है, को निस्तारित किया जाकर पत्रावली मे तनकीयात कायम की जाकर उभय पक्षकारान की साक्ष्य व सबूत ली जाकर तनकीवार गुणावगुण पर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 19.12.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)